झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग</u>

अधिसूचना

अधि० संख्या–2/रा०व्या०–05/2007 (खण्ड–3)– 2219 व०प०, राँची, दिनांक– 26/05/17

झारखण्ड राज्य के भीतर काष्ठ (टिम्बर, विनियर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोंद और राल (रेसीन), फल, बीज और फल, जड़, छाल एवं अन्य वन्य उत्पाद जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे, के सड़क, रेल एवं वायु मार्गों से अभिवहन तथा उससे अनुषंगिक अन्य विषयों का विनियमन करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–रा०व्या०–11/2000–2402/व०प०, दिनांक–21.06.2004 द्वारा झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 अधिसूचित है।

2. उक्त नियमावली के नियम–8 में रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है तथा नियम–5 के अंतर्गत राज्य की सीमा के भीतर अथवा बाहर काष्ठ या अन्य वन उत्पादन के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा–पत्र अनिवार्य है।

3. राज्य में मुख्यमंत्री जन–वन योजनान्तर्गत ग्रामीणों को उनकी निजी भूमि पर टिंबर प्रजाति तथा फलदार पौधे लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। लगाए गए पेड़ों का स्वामित्व भी रैयतों के अधीन है।

4. मुख्यमंत्री जन–वन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुकूल वातावरण का सृजन तथा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की नींव को मजबूती प्रदान करने के साथ अन्य राज्यों की भांति झारखण्ड राज्य में भी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के निमित परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने की आवश्यकता है, ताकि रैयतों को प्रोत्साहित करने के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी।

5. अतएव उपर्युक्त के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कुल–19 (उन्नीस) काष्ठ प्रजातियों को झारखण्ड काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के नियम–5 एवं 8 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है :–

क्र० सं०	काष्ठ/वृक्ष का नाम	प्रजाति का नाम
1	युकलिप्टस (सफेदा)	युकलिप्टस की सभी प्रजातियां
2	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
3	कैजूरिना	कैजूरिना इक्विजिटीफोलिया
4	महानीम (घुड़करंज)	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
5	बकैन	मेलिया अजाहिरेक्टा
6	कदम	एन्थोसेफेलस कदम्बा
7	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
8	सिल्वर ओक	ग्रेवेलिया रोबस्टा

9	इजरायली बबूल	एकेशिया टॅारटिलिस
10	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
11	बबूल	अकेशिया टॉरटिलिस
12	पाम	पाम प्रजातियां
13	बेर	जिजीफस जुजुबा
14	शहतूत	मोरस अल्बा
15	अमरूद	साइडियम गुआवा
16	नीम्बू,संतरा, मौसम्बी	सिट्रस प्रजातियां
17	मुनगा	मोरिगा ऑलिफरा
18	अशोक	पालिएल्थिआ लांगीफोलिया, सराका असोका
19	बाँस	बाँस की प्रजातियां डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठी बाँस) को छोड़कर

6. भविष्य में उपर्युक्त कंडिका–5 में अंकित काष्ठ/वृक्ष के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रजाति के काष्ठ/वृक्ष को नियमावली के तहत् परिवहन अनुज्ञा–पत्र की अनिवार्यता से विमुक्त करने अथवा शामिल करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा।

7. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक--16.05.2017 के मद संख्या–25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/रा0व्या0–05/2007 (खण्ड–3)– व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/रा0व्या0–05/2007 (खण्ड–3)– 2219 व0प0, राँची, दिनांक– 26/05/17

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारीगण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव